न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 28/2012 G.C.M.S. No. 2012/00042 दर्ज दिनांक : 13.06.2012

अपीलार्थी:

1. नानजी पुत्र केहरा, जाति कोली, उम्र वयस्क, निवासी नलधरा, तहसील सांचोर, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. भूरा पुत्र केहरा
2. कंको बेवा केहरा, जाति कोली, निवासी नलधरा
3. भला पुत्र पीरा, जाति कुम्हार, निवासी नेनावा, हाल नलधरा, तहसील सांचोर, जिला जालोर के का.मु.—
   3/1 खानाराम पुत्र भलाराम
   3/2 प्रेमा पुत्र भलाराम
   3/3 पूंजाराम पुत्र भलाराम
   3/4 चेला पुत्र भलाराम, जाति कुम्हार, निवासी नेनावा, तहसील सांचोर हाल नलधरा।
4. गोमती पुत्री भलाराम पत्नि वालाराम, जाति कुम्हार, निवासी कुम्हारों का गोलिया, तहसील सांचोर।
5. सारदा पुत्री भलाराम पत्नि रूगनाथ, जाति कुम्हार, निवासी कोड, तहसील सांचोर।
6. गीता पुत्री भलाराम पत्नि रूगनाथ, जाति कुम्हार, निवासी पलादर, तहसील सांचोर।
7. मृत हकमा पुत्र भला, जाति कुम्हार, निवासी नेनावा, हाल नलधरा, तहसील सांचोर के का.मु.—
   7/1 अजोती कुमारी पुत्री हकमाराम पत्नि तगाराम जाति कुम्हार, निवासी पलादर, तहसील सांचोर।
   7/2 दिनेश कुमार पुत्र हकमाराम, जाति कुम्हार, निवासी नेनावा, हाल नलधरा, तहसील सांचोर।
   7/3 प्रकाश कुमार पुत्र हकमाराम, जाति कुम्हार, निवासी नेनावा, हाल नलधरा, तहसील सांचोर।
   7/4 वर्षा कुमारी पुत्री हकमाराम, जाति कुम्हार, निवासी नेनावा, हाल नलधरा, तहसील सांचोर नाबालिग जरिये बड़ा भाई वादमित्र दिनेश कुमार पुत्र हकमाराम, जाति कुम्हार, निवासी नेनावा, हाल नलधरा, तहसील सांचोर।
8. हरचंद पुत्र मोटा कुम्हार, निवासी नेनावा, हाल नलधरा के कायम मुकाम—
   8/1 बाबु पुत्र हरचंद
   8/2 रासेगा पुत्र हरचंद
   8/3 सीता बेवा हरचंद, जाति कुम्हार, निवासी नेनावा, हाल नलधरा, तहसील सांचोर, जिला जालोर।
   8/4 पवन पुत्री हरचंद, पत्नि दरगाराम कुम्हार, निवासी केरिया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहसील सांचोर व जिला जालोर।

8/5 रेखा पुत्री हरचंद पत्नि हरचंद कुम्हार, निवासी कुम्हारों का गोलिया, तहसील सांचोर व जिला जालोर।

8/6 मीरा पुत्री हरचंद पत्नि भगवाना कुम्हार, निवासी सुथाणा, तहसील सांचोर व जिला जालोर।

9. तहसीलदार सांचोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 699/78 बअनवान भला बनाम केहरा के का.मु. भूरा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.1981 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री निखिल दवे, श्री ईशरार खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नवीन कुमार गहलोत, श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, श्री चंदनमल छीपा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 699/78 बअनवान भला बनाम केहरा के का.मु. भूरा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.1981 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में सरहद मौजा नलधरा तहसील–सांचौर में अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 के पिता की कृषि भूमि पूर्व खसरा नम्बर–319 रकबा 17 बीघा स्थित थीं, राजस्व रेकर्ड में उनके पिता केहरा के मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किया गया। रिसैटलमेंट के दौरान उपरोक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर–563 रकबा 0.22 हैक्टेर गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर–564 रकबा 1.32 हैक्टेर बारानी सोयम, खसरा नम्बर–565 रकबा 1.31 हैक्टेर बारानी सोमय की स्थित है केहरा ने अपनी मृत्यु के समय भूरा, नानजी व कृष्ण तीन पुत्रों एवं अपनी धर्मपत्नि को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान के रूप में छोड़ा है। कृष्ण का स्वर्गवास अविवाहित अवस्था हो चुका है जिसके वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत है। रेस्पोडेन्ट भला व मृतक हरचंद्र नेनवा (गुजरात) के मूल निवासी थें तथा नलधरा ईंटों का कजावा आदि निकालने के उद्देश्य से आये थें अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास उनकी अल्प आयु में हो गया था तथा अपीलान्ट की माता के पास गुजारा करने के लिये उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई सम्पत्ति नहीं थीं। उक्त आराजी एक फसल थीं जिसमें बारिश के अलावा अन्य कोई फसल वर्षा के अभाव में उत्पन्न होना संभव नहीं था। इस कारण मजदूरी कर स्वयं का व अपने पुत्रों का पालन पोषण करती थीं, जब कभी भी बारिश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं होती तो उसमें जलाउ लकड़ियां, बबुल आदि उगते रहते थें। मला व हरचंद्र द्वारा की अनुमति से उसमें ईट्टों का कजावा निकाला जाता उसके बदल ये 5000/— रूपये वार्षिक अदा करते थें। भला व हरचंद्र ने एक वाद भूरा, नानजी व कृष्ण के विरूद्ध खातेदारी हक की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं बाद अनवीक्षा सहायक कलेक्टर ने उक्त भूमि सिवाय चक घोषित करने का विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिया। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में न केवल तथ्यों की भूल की हैं। बल्कि विधि के मूलभूत सिद्धान्तों की भी भूल हैं। नानजी व कृष्ण स्वीकृत रूप से नाबालिग थें प्रथम तो समन बनाम नाबालिग मुदायला एवं समन बनाम वली नाबालिग मुदायला जारी ही नहीं किये गये इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि नाबालिग के हितों की रक्षा हेतु आदेश 32 सी.पी.सी. की पालना करते हुये अदालती वली वादीगण के खर्चे पर नियुक्त करते ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके अधिनस्थ न्यायालय ने नाबालिग अपीलान्ट नानजी व मृतक कृष्ण का अदालती वली नियुक्त किये बिना उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय में धारा—175 का प्रार्थना—पत्र जो प्रस्तुत किया गया है उसकी कोई सूचना अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को नहीं दी गई वस्तुतः उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट भला व मृतक हरचंद्र ने तामिल कुनीन्दा से मिलावट कर फर्जी तौर पर वस्पातगी की कार्यवाही कर एक तरफा कार्यवाही की है वस्तुतः धारा 175 का प्रार्थना—पत्र पृथक से दर्ज किया जाकर पक्षकारान को सूचित करने के पश्चात ही उस पर कार्यवाही करनी चाहिये परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की हैं। गत वर्ष अच्छी वर्षा होने से अपीलान्ट व भूरा ने बाजरी की फसल बोई थीं एवं नहर के पानी से जीरे की फसल बोई थीं, जो अपीलान्ट व भूरा द्वारा कांट ली गई तत्पश्चात् अपीलान्ट व भूरा मजदूरी के कार्य से विगत होली के 20 रोज पश्चात् कंसारी (गुजरात) आलू की फसल काटने की मजदूरी करने के लिये चले गये एवं चैत्री नवरात्री के पश्चात् चैत सुद 12 को पुनः नलधरा आये तो देखा कि रेस्पोडेन्ट भला व उसके पुत्र केवना, गमना व रायमल पिसरान—मोटा व चेला, हका, प्रेमा पुत्रगण भला, बाबु, रासेगा पिसरान—हरचंद्र व रेस्पोडेन्ट भला ने उक्त आराजी पर हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अनाधिकृत रूप से प्रविष्ठ होकर नाजायज कब्जा कर लिया है एवं हमें कहा कि तुम्हारा इस जमीन पर कोई हक नहीं हैं। हमने तो 30 वर्ष पहले ही फैसला करवा लिया है जबकि अपीलान्ट ने कहा कि हमें तो दावें का नोटिस ही नहीं मिला तो फैसला कैसे हो गया। जिस पर कहा कि यह तुम्हारा काम है तुम मालूम करो हम कब्जा नहीं छोडेंगे जिस पर अपीलान्ट द्वारा सांचौर सहायक कलेक्टर के न्यायालय में जाकर पूछताछ की तो वहां पर कुछ पता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं लगा व कहा कि पुराने मुकदमें की फाईलें जालोर मिलेगी, जिस पर अपीलान्ट दिनांक 05.04.2012 को जालोर आया व जगदीश गोदारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर रेकर्ड की जांच करवाई तो पता चला कि उक्त निर्णय दिनांक 28.04.1981 को एक पक्षीय पारित किया गया है जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 05.04.2012 को नकल हेतु आवेदन किया गया, जो दिनांक 10.04.2012 को प्राप्त हुई उक्त नकल प्राप्त करने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट को यह आभास हो गया कि अपीलान्ट अवश्य ही कार्यवाही करेगा तो रेस्पोडेन्ट संख्या–3, 4 व 5 ने अपीलान्ट को राजीरामा कर 1 माह के भीतर भूमि का कब्जा सुपुर्द करने का आश्वासन दिया। क्योंकि अपीलान्ट द्वारा धारा–183 (ठ) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी थीं। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का गरीब काश्तकार होने से विश्वास में रहा तत्पश्चात् कब्जा सुपुर्द नहीं करने के कारण अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है अपीलान्ट को सर्वप्रथम उक्त निर्णय का ज्ञान दिनांक 05.04.2012 को हुआ उसके पूर्व कभी नहीं हुआ निर्णय की नकल मिलने व उसके ज्ञान से अपील अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.04.1981 द्वारा वादपत्र खारिज करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवायचक घोषित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 15.05.2012 को लगभग 31 वर्ष अर्थात 11332 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब पश्चात प्रस्तुत की हैं।
2. अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विलंबकाल माफ करने के लिए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि गत वर्ष अच्छी वर्षा होने से अपीलान्ट व भूरा ने बाजरी की फसल बोई थीं एवं नहर के पानी से जीरे की फसल बोई थीं, जो अपीलान्ट व भूरा द्वारा कांट ली गई तत्पश्चात् अपीलान्ट व भूरा मजदूरी के कार्य से विगत होली के 20 रोज पश्चात् कंसारी (गुजरात) आलू की फसल काटने की मजदूरी करने के लिये चले गये एवं चैत्री नवरात्री के पश्चात् चैत सुद 12 को पुनः नलधरा आये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तो देखा कि रेस्पोडेन्ट भला व उसके पुत्र केवना, गमना व रायमल पिसरान–मोटा व चेला, हका, प्रेमा पुत्रगण भला, बाबु, रासेगा पिसरान–हरचंद्र व रेस्पोडेन्ट भला ने उक्त आराजी पर हमारी गैर मौजदूगी का फायदा उठाकर अनाधिकृत रूप से प्रविष्ठ होकर नाजायज कब्जा कर लिया है एवं हमें कहा कि तुम्हारा इस जमीन पर कोई हक नहीं हैं। हमने तो 30 वर्ष पहले ही फैसला करवा लिया है जबकि अपीलान्ट ने कहा कि हमें तो दावें का नोटिस ही नहीं मिला तो फैसला कैसे हो गया। जिस पर कहा कि यह तुम्हारा काम है तुम मालूम करो हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे जिस पर अपीलान्ट द्वारा सांचौर सहायक कलेक्टर के न्यायालय में जाकर पूछताछ की तो वहां पर कुछ पता नहीं लगा व कहा कि पुराने मुकदमें की फाईलें जालोर मिलेगी जिस पर अपीलान्ट दिनांक 05.04.2012 को जालोर आया व जगदीश गोदारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर रेकर्ड की जांच करवाई तो पता चला कि उक्त निर्णय दिनांक 28.04.1981 को एक पक्षीय पारित किया गया है जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 05.04.2012 को नकल हेतु आवेदन किया गया, जो दिनांक 10.04.2012 को प्राप्त हुई उक्त नकल प्राप्त करने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट को यह आभास हो गया कि अपीलान्ट अवश्य ही कार्यवाही करेगा तो रेस्पोडेन्ट संख्या–3, 4 व 5 ने अपीलान्ट को राजीरामा कर 1 माह के भीतर भूमि का कब्जा सुपुर्द करने का आश्वासन दिया। क्योंकि अपीलान्ट द्वारा धारा–183 (ठ) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी थीं। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का गरीब काश्तकार होने से विश्वास में रहा तत्पश्चात् कब्जा सुपुर्द नहीं करने के कारण अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है अपीलान्ट को सर्वप्रथम उक्त निर्णय का ज्ञान दिनांक 05.04.2012 को हुआ उसके पूर्व कभी नहीं हुआ निर्णय की नकल मिलने व उसके ज्ञान से अपील अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र अभिमत में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील लगभग 11332 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट स्वयं बतौर पक्षकार प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संयोजित था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.01.1979 के अंकन अनुसार अपीलांट प्रतिवादी की विधिवत तामील हो चुकी थीं एवं बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार व निर्णित अपीलाधीन प्रकरण की आरंभ से ही बखूबी जानकारी रही हैं। अतः अपीलांट का यह कथन कि उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.04.2012 को हुई, पूर्णतया मनगढ़ंत व काल्पनिक कथन है। अपीलांट द्वारा लगभग 31 वर्ष के अत्यंत दीर्घ विलंबकाल को माफ करने के लिए कोई युक्तियुक्त,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सद्भाविक व विश्वसनीय कारण दर्शित नहीं किए हैं एवं न ही दिन–प्रतिदिन के विलंब के कारण प्रकट किए हैं। ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं माना जा सकता।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law-then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **11332 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **11332 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति, बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली